न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 01/2021

प्रार्थीः–

1. गपालाल पुत्र जोगाराम जति मेघवाल
2. नारायणराम पुत्र जोगाराम जति मेघवाल
3. पारसराम पुत्र जोगाराम जति मेघवाल
4. मोहनलाल पुत्र जोगाराम जति मेघवाल
5. लेहरोदेवी पत्नी जोगाराम जति मेघवाल
6. हटाराम पुत्र जोगाराम जति मेघवाल निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पारसमल पुत्र डुंगराराम जाति रबारी
2. मु.मिसी पत्नी गोकाराम जाति रबारी
3. रताराम पुत्र जामता जाति रबारी
4. राणाराम पुत्र गोकाराम जाति रबारी
5. हड़मानराम पुत्रजामता जाति रबारी
6. शैतानसिह पुत्र तेजसिंह जाति रावणा राजपूत
7. शम्भुसिंह पुत्र तेजसिंह जाति रावणा राजपूत
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
9. मैनेजर SBBJ कम शाखा कृषि विकास शाखा सिवाना
10. उदाराम पुत्र बदाराम जाति रबारी
11. धर्मोदेवीपत्नी बदाराम जाति रबारी
12. पोकररामपुत्र आसाराम जाति रबारी
13. भट्टाराम पुत्र बदाराम जाति रबारी
14. रावताराम पुत्र आसाराम जाति रबारी
15. शंकरराम पुत्र आसाराम जाति रबारी
16. सांवलाराम पुत्र आसाराम जाति रबारी
17. मंगलाराम पुत्र गोकाराम जाति रबारी
18. रतनाराम पुत्र गोकाराम जाति रबारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कैलाशपुरी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश :–

दिनांक :– 02.07.2021

प्रार्थीगण द्वारा [illegible] ए. की धारा 251 ए के [illegible] इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण नया रास्ता बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेत स्थान सरहद मौजा थापन पटवार क्षेत्र थापन तहसील सिवाना के खातेदारी खेत खसरा संख्या 994/218 रकबा 1.9425 हैक्टयर खसरा संख्या 219 रकबा 2.2177 हैक्टयर खसरा संख्या 221 रकबा 3.1565 हैक्टयर मे से खसरा संख्या 205 रकबा 2.5900 हैक्टयर तक प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ,ब,स, अनुसार रास्ता कृषि उपयोग हेतु स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ,प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमियों मे से 13 फीट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ,ब,स, अनुसार कायम किया जावे,इस हेतु माफिक आदेशानुसार क्षतिपूर्ति की राशि देने हेतु तैयार है,उक्त रास्ता प्रार्थीगण के आवगमन हेतु सुगम व नजदीकी रास्ता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 06 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया। भूमिधारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट कमांक राजस्व/2021/72 दिनांक 12.02.2021 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत फर्द में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते ए.डी.बी .के अलावा अन्य रास्ता ए.डी.सी भी होना बताया जो खसरा सख्या 217, 993/218,994/218,219,221 में से बताया इस कारण प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 217,993/218 के खातेदारन को विप्रार्थीगण संख्या 10 ता 18 को पक्षकार जोडा गया । विप्रार्थीगण 1 ता 5 व 7 ता 18 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 06 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 205 के लिए जबाव के संलग्न परिशिष्टि "ब" में दर्शाया बरंगलाल रास्ता मौजूद है तथा उक्त खेत के आवगमन हेतु बदिशा पूर्व /दक्षिण में बरंग हरा रास्ता प्रार्थीगण के खेत के माढ के लगता मौजूद है,तथा उसी रास्ते से प्रार्थीगण विगत कई पीढ़ियो से आवगमन कर रहे है।जो रास्ता पीढीया पुराना मरडीया स्थित है प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 205 के लिए उक्त वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी जानबूझकर उक्त तथ्यों को छिपाकर गलत तौर से विप्रार्थी के खेत मे से नया रास्ता खुलवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन कर अध्ययन व मनन किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अध्ययन किया गया। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट में दर्शाया कि "उपस्थित मौतबिरान् तथा खातेदार ने बताया कि हम पूर्व में मौजा थापन में स्थित खसरा संख्या 154 किस्म गै.मु.नाला के बाद खसरा संख्या 217,993/218,219 तथा 221 मे से होकर खातेदारी खेत खसरा संख्या 205 में आना जाना करते थे ,जो

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संलग्न नक्शा परिशिष्ट ब में बिन्दू सी से डी दर्शाया गया है आगे पूर्व में प्रस्तावित वास्ते खसरा संख्या 219,221 में मिलता है, तथा विकल्प में रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की विकल्प संख्या 02 अनुसार भूमि खसरा संख्या 217 का रकबा 0.0567 हैक्टयर ,खसरा संख्या 993/218 का रकबा 0.0307 हैक्टयर खसरा संख्या 994/218 का रकबा 0.0324 हैक्टयर खसरा संख्या 219 का रकबा 0.0372 हैक्टयर, खसरा संख्या 221 का रकबा 0.0081 हैक्टयर प्रस्तावित रास्ते का रकबा बताया है जिसमें प्रस्तावित रास्ते में कुल 1.02 बीघा अर्थात 0.1651 हैक्टयर भूमि आती है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर से दोगुनी राशि 47,837 रूपये बनती है।

तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी पत्रावली संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्राप्त तथ्यातत्क रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया प्रार्थीगण भूमि खेत खसरा संख्या 205 का रेकर्डड खातेदार है ,और उक्त भूमि में कृषि उपयोग लेने का कथन किया है, मौके पर उक्त खेत के लगता कोई कटाण का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 205 रकबा 2.5900 हैक्टयर के लिये खेत खसरा संख्या 994/218 रकबा 1.9425 हैक्टयर,खसरा संख्या 219 रकबा 2.2177 हैक्टयर खसरा संख्या 221 रकबा 3.1565 हैक्टयर में से प्रार्थना पत्र. के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित अनुसार रास्ता कृषि उपयोग 13 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अलावा इसके तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अुनसार मार्क ए.डी.बी. रास्ता प्रार्थीगण के आवगमन हेतु सुगम व सबसे नजदीकी रास्ता होना दर्शाया है तथा विप्रार्थी संख्या 12,14,15 व 16 ने तहसीलदार सिवाना द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में दर्शित मार्क ए.डी.सी. अनुसार रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति दी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में मार्क ए.डी.सी. रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता होना प्रतीत होता है तहसीलदार सिवाना द्वारा रा.का.अ. की धारा 251 ए के अनुसार रास्ते के अतियन्त आवश्यकता को देखते हुये जो रास्ता सबसे नजदीक रास्ता होना दर्शाया है तथा विप्रार्थीगण संख्या 12,14,15,16 ने तहसीलदार सिवाना द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में मार्क ए.डी.सी. रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता होना [illegible] है, मौका फर्द अनुसार भूमि खसरा संख्या 217 का रकबा 0.567 हैक्टयर, खसरा संख्या 993/218 का रकबा 0.0307 हैक्टयर खसरा संख्या 994/218 का रकबा 0.0324 हैक्टयर खसरा संख्या 219 का रकबा 0.0372 हैक्टयर खसरा संख्या 221 का रकबा 0.0081 हैक्टयर प्रस्तावित रास्ते का रकबा बताया है जिसमें प्रस्तावित रास्ते में कुल 1.02 बीघा अर्थात 0.1651 हैक्टयर भूमि आती है जिसकी वर्तान डीएलसी दर से दुगनी राशि 47,837 /–रूपये बनती है उक्त राशि विप्रार्थीगण खातेदार प्राथीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है,उक्त राशि विप्रार्थीगण प्रार्थीगण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्राप्त करना चाहते है तो कर सकते है और विप्रार्थीगण नकदी प्राप्त नहीं करने की सुरत में प्रार्थीगण तहसीलदार सिवाना के कार्यालय में जमा करावे। जो राशि विप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि के अनुपातिक अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी होगे।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट ब में वर्णित ए.डी.सी. भाग तक खसरा संख्या 217,993/218,994/218,219,221 में से 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में समाविष्ट होने वाली 2 गट्ठा चौडाई में रास्ते की भूमि का प्रतिफल के रूप में विप्रार्थीगण को अदायगी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2021/72 दिनांक 12.02.2021 द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 03.02.2021 के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 2.7.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:44 IST
Reason: SelfAttested